न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 60/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) २०१२|०००५३

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रघुनाथ सिंह पुत्र बन्नेसिंह कौम राजपूत साकिन भीमसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया अधिवक्ता

आदेश दिनांक 20.09.2018

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार छत्तरगढ़ ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 GSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 15/46 किलां नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 की कुल 6.00 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि खसरा गिरादवरी संवत 2045–2048 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर के निर्णय 04.07.1985 के द्वारा श्री रघुनाथ सिंह पुत्र बन्नेसिंह कौम राजपूत साकिन भीमसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू को आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 1 GSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 15/46 किलां नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल 6.00 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.1985 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5– अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को विधिवत भूमिहीन श्रेणी में 1 GSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 15/46 किलां नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल 6.00 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये लॉटरी के तत्तकालीन सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा विधि अनुसार आवंटित कर खातेदारी आदेश प्रदान किया गया था। अप्रार्थी मौके पर काबिज है तथा आवंटन के बाद हजारों रूपये लगाकर उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है और अप्रार्थी की आजीविका का आधार उक्त कृषि भूमि ही है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। मौके पर किसी प्रकार का जोहड़ पायतन नहीं है ना ही उक्त भूमि आगौर की है। शुद्ध रकबाराज में अप्रार्थी को आवंटन किया गया है। किला नम्बर 1 व 10 आराजीराज था। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन उपनिवेशन एक्ट 1954 के नियमों के तहत आवंटन किया गया है और काश्तकारी अधिनियम 1955 को बना हुआ है। इसलिए उपनिवेशन एक्ट 1954 के प्रावधानों पर बाद के एक्ट 1955 की धारा 16 लागू नहीं होती है। उपनिवेशन एक्ट एवं उपनिवेशन आवंटन नियमों में जोहड़ पायतन का रकबा आवंटन करने का प्रावधान है उक्त प्रावधान में आरक्षित कीमत को लेकर आवंटन करने का प्रावधान है। नहरी क्षेत्र में जोहड़ पायतन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उपनिवेशन क्षेत्रों में नहरों से पानी लगता है। खाले एवं पानी डिग्गीयां बन चुकी है इसलिए पानी का जरिया नहरे है न की जोहड़ इत्यादि। जहां बारानी भूमि हो वहां वर्षा का पानी जोहड़ में भरा जाता है वहां जोहड़ पायतन को आवंटन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी के आवंटन आदेशों में जोहड़ पायतन भूमि का अंकिन नहीं है। जिसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत रेफरेंस 28 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है, जो कानून रूप से मेंटेनेबल नहीं है। रेफरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है कानूनन जहां अपील का प्रावधान है वहां पर अपील ही करनी चाहिए। अतः प्रस्तुत रेफरेंस इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6– हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2045–2048 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी जो कि गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 के अनुसार जरिये नामान्तरण संख्या 13 दिनांक 25.6.89 से अप्रार्थी के नाम पुख्ता आवंटन दर्ज की गई। मुताबिक जमाबंदी संवत 2065–68 के प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम पुख्ता आवंटन दर्ज है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 1 GSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 15/46 किलां नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल 6.00 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.1985 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8– उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9– आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.स्व. गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. बीकानेर कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर